न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत(आर.ए.एस.)
पत्रावली संख्या 02 / 2020
किस्म – अपील
दायर दिनांक : 10.07.2020

अनवान

अयुब खाँ पिता गुलादाद खाँ जी मुसलमान आयु 58 वर्ष निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द। – अपीलान्ट

–:बनाम:–

1. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंचग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ।
2. मजीद खाँ पिता गुलादाद खाँ जी मुसलमान निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द ।
3. सलमा पुत्री गुलादाद खाँ जी मुसलमान निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द ।
4. मरीयम पुत्री फरीद खाँ जी (पौत्री गुलदाद खाँ) मुसलमान निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
5. अखलाख खाँ पिता मुनव्वर खाँ पठान मुसलमान निवासी डेरा मोहल्ला उमक राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द ।
6. जीनत बेगम पत्नी अखलाख खाँ पठान मुसलमान निवासी डेरा मोहल्ला राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द । – रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 22.09.1981 ग्राम पंचायत सेलागुढा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

उपस्थित – अपीलान्ट की ओर से :– अधिवक्ता मुकेश देवपुरा
रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से :– अधिवक्ता किशनलाल शर्मा

निर्णय

दिनांक 29.01.2026

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रेलमगरा यह कि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा ग्राम कोटडी के नामांतरण सख्या 1287 के नामान्तरण की नकल साथ संलग्न कर उक्त नामान्तरण गलत खोले जाने से दुखी पिडीत एवं रूष्ट डोकर अपीलांट कि अपील निम्नानुसार निवेदन है कि ग्राम पचायत कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द का उक्त आदेश बाबत नामान्तरण अवैध विधि विरूद्व एवं प्राकृतीक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ने मृतक गुलदाद खाँ के वारीसान की जाँच किये बिना ही मात्र गुलदाद खाँ के दो वारीसान के नाम पर ही विरासत के आधार पर उक्त नामान्तरण फैसल कर दिया गया तथा मृतक गुलदाद खाँ के अन्य वारीसान की जांच किये बिना ही एवं शेष वारीसान को नजर अन्दाज कर यह नामान्तरण फैसल कर दिया गया है जो अवैध एवं विधि विरूद्व है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 सभी मुसलमान होकर मुस्लीम वेधि से शासीत होते है तथा उक्त सभी मृतक श्री गुलदाद खाँ के वारीस है। यह की मृतक गुलदाद खां का सजरा निम्न प्रकार से है:–

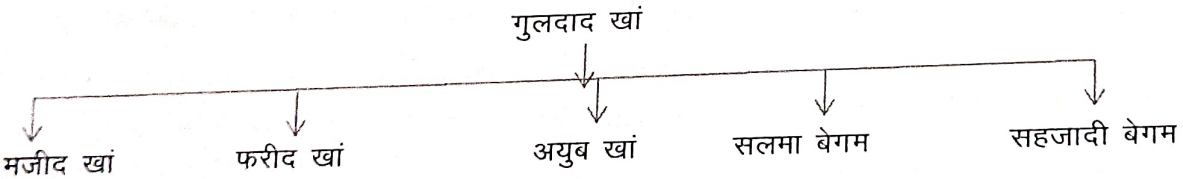

गुलदाद खाँ जी के हक आधिपत्य शुदा खातेदारी कृषि भूमियां ग्राम कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित रही है जिसके आराजी नम्बर 3021, 3023 व 3024 कुल किता 3 कुल रकबा 05 विघा 14 विश्वा होकर उक्त गुलदाद खाँ की मृत्यु दिनांक 23.05.1995 को हो चुका है। कलम संख्या 5 में वर्णित भूमियों का विरासत का नामान्तरण जो कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 21.06.2008 को खोला गया उसमें पहले गुलदाद खाँ जी के दो पुत्र नजीद खाँ व अयूब खाँ, बेटी सलमा एवं पत्नी शहजादी का नाम अंकित किया गया उसके पश्चात ग्राम पंचायत कोटडी ने अपने अधिकारो से परे जाकर गुलदाद खाँ जी के अन्य वारीसों के नाम को हटा कर मात्र गुलदाद खाँ की पत्नी शहजादी व एक पुत्र मजीद खाँ के नाम पर ही भूमियों का नामान्तरण किये जाने का आदेश पारीत कर दिया गया। मृतक गुलदाद खाँ के वारीस बाबत् एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.07.2012 को मुकदमा नम्बर 10.2012 मु. दी. निर्णय दिनांक 25.05.2012 के अनुसरण में जारी किया गया है जिसमें भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को मृतक श्री गुलदाद खाँ के उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत कोटडी का उक्त आदेश दिनांक 21.06.2008 अवैध एवं विधि विरूद्व

होकर ग्राम पंचायत द्वारा यह आदेश अपने अधिकारों से परे जाकर पारीत किया गया है जो कविले निरस्त होकर उक्त आदेश एवं नामान्तरण को निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये तथा वारीसान समबन्धी जांच रिपोर्ट का नजर अन्दाज कर यह नामान्तरण संख्या 1287 खोला गया है वह अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर उक्त नामान्तरण को निरस्त करने हेतु यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा उक्त गलत एवं अवैध नामान्तरण खोले जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या एक व मृतका शहजादी बेगम द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमियों के नुमाईसी विकय पत्र का पंजियन यह जानेते हुए कि उक्त भूमियों में उनका राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार हक हिस्सा नहीं है अपीलांट व गुलदाद खाँ के अन्य वारीसान को नुकसान पंहुचाने व उनके हिस्से की भूमि को धोखाधडी पुर्वक हडपने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम पर करवा दी जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य होकर उक्त विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को वादग्रस्त भूमियों में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को आवश्यक होने से पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 19.06.2020 को अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता होने पर अपीलांट द्वारा नेट के माध्यम से उक्त वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को उक्त अवैध नामान्तरण खोले जाने की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 26.06.2020 को अपीलांट ने उक्त नामान्तरण की नकल प्राप्त करने हेतु तहसीलदार रेलमगरा के यहां आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त नकल अपीलांट को दिनांक 30.06.2020 को उपलब्ध कराई गई जिसके पश्चात यह अपील शिघ्रतम अवसर पर तैयार करवा कर आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जो अपीलांट को जानकारी होने व नकल प्राप्त होने से अन्दर मयाद पेश है फिर भी नामान्तरण खोले जाने से इसकी जानकारी अपीलांट को होने व नकल प्राप्त होने तक की अवधि को कन्डोन किये जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा फैसल ग्राम कोटडी के नामान्तरण संख्या 1287 दिनांक 21.06.2008 को नेरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। तथा ग्राम पंचायत कोटडी या तहसीलदार रेलमगरा को इस निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे कि – मृतक गुलदाद खाँ के सभी वारीसान के नाम पर मुस्लीम विधि को ध्यान में खते हुए तद्नुसार नामान्तर की कार्यवाही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स सं. 05 व 06 की ओर से अधिवक्ता मुकेष कुमार टुकल्या ने वकालत नामा मय प्रारम्भिक आपत्ति पेष की जो शामिल फाईल। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 03, 04 की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से करायी गयी जिसकी ट्रेक रिपोर्ट से जाहिर है कि उक्त रेस्पोडेन्टगण की तामील हुयी किन्तु न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की आपत्ति निम्नानुसार हैः– अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सुनवाई का क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को नहीं है। अतः जिससे उक्त अपील श्रवणाधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। उक्त आपत्ति के संबंध में अपीलाण्ट अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में कहा उक्त त्रृटी टंकणीय व लिपिकिय त्रृटी से जिसे सुधारा जा सकता है जिसका कानून में भी प्रावधान है। जिसका रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने खण्डन किया तथा रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने जवाब पेष करने हेतु अवसर चाहा परन्तु समयावधि के अभाव में अवसर दिया जाना उचित नहीं होने से रेस्पोडेण्ट का जवाब बंद किया जाता है। अधिवक्त पक्षकारन की वहस सुनी गई उभयपक्षकारान द्वारा अपील एंव जवाव में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया व रेस्पोडेट अधिवक्ता ने अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रेस्पोडेण्ट का का जवाब मय आपत्ति एवं अधिवक्ता पक्षकारान की वहस का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपील अपीलाण्ट की खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि :–

–: आदेश :–

अपील अपीलाण्ट की सारहीन होने से खारिज (अस्वीकार) की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक को 29.01.2026 को न्यायालय मे सुनाया गया।

(विन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
जिला राजसमंद
सहायक कलक्टर